

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 145/2020

प्रार्थी : -

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थी :-

1. सरपंच ग्राम पंचायत जनापुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
2. श्रीमती अंशीदेवी पत्नि धर्मराम जोगी निवासी जनापुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज
अधिनियम, 1994

उपस्थिति :-

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरौही प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री हुनरसिंह देवडा अनुपस्थित, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 06.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 24954 दिनांक 07.09.2019 बुक संख्या 250 क्षेत्रफल 800 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हुनरसिंह देवडा ने वकालतनामा पेश किया परन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरौही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक में विधि विरुद्ध पारित बुक संख्या 250 पट्टा संख्या 24954 दिनांक 07.09.2019 क्षेत्रफल 800 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। यह है कि ग्राम पंचायत को आवंटित आबादी भूमि में विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार प्रदत्त है, परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत जनापुर ने अप्रार्थी संख्या दो को विक्रय विलेख जारी करने हेतु ग्राम पंचायत आबादी भूमि के खसरा संख्या 05 में विक्रय विलेख जारी करना प्रस्तावित किया गया परन्तु अप्रार्थी एक ने अप्रार्थी संख्या दो को रास्ते की भूमि पर विक्रय विलेख जारी किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को विक्रय विलेख जारी करने हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1994 के नियम 145(1) पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 68(V)(VI) के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाया गया है, जिससे उक्त पट्टे खारिज किए जाने योग्य है।

जिला कलक्टर, सिरौही

अप्रार्थी संख्या दो की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री हुनरसिंह देवडा को पूर्व में कई अवसर दिए जाने बावजूद भी किसी तरह का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या दो का जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है एवं न ही अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता बहस हेतु नियत तिथि पर उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

मैंने प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया। संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभाँति अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार—

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन— (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए हैं या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23-ग में जारी किया जा सकेगा)


पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/राजस्व/745 दिनांक 01.07.2020 के द्वारा जांच रिपोर्ट में उक्त विवादित पट्टे की भूमि को गैर मुमकिन रास्ता की भूमि जाहिर किया है। यह है कि पट्टवारी हल्का जनापुर एवं भू-अभिलेख निरीक्षक झाडौली की रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है कि खसरा संख्या 226/2 रकबा 0.11 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती खातेदारी है, इस भूमि के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 234 की भूमि है एवं खसरा संख्या 234 राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है एवं इस रास्ते की भूमि में ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा आवासीय पट्टे 24952, 24953, 24954 दिनांक 07.09.2019 को जारी किए गए हैं। यह है कि उक्त पट्टों की राजस्व रेकर्ड से तुलना करने पर खसरा संख्या 226/2 खातेदारी भूमि के पश्चिम दिशा में रास्ता है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों के पूर्वी दिशा में कृषि भूमि बताई गई है। इससे जाहिर होता है कि इन आवासीय पट्टों की स्थिति रास्ते की भूमि में पडती है। यह है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/पसपि/2020/12152 दिनांक 26.08.2020 के द्वारा उक्त विवादित पट्टे राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा नम्बर 234 में दिया जाना बताया है, जो रास्ता की भूमि है। यह है कि कार्यालय जिला परिषद सिसोही द्वारा भी जरिए पत्र क्रमांक/जिपसि/पंचायत/जांच/2020/276 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा उक्त विवादित पट्टे ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा गलत रूप से जारी कर दिए जाने से निरस्त किए जाने की कार्यवाही करने बाबत लिखा गया था। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा उक्त विवादित पट्टा रास्ता की भूमि के जारी किए हैं। चूंकि इस संबंध में अप्रार्थी संख्या एक व दो ने किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, जो प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे के संबंध में किए गए रास्ते की भूमि के कथन को बढ़ावा देता है। यह है कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है।

जिला अधिकारी, सिसोही

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त विवादित पट्टे को न्याय संगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा अपार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 24954 दिनांक 07.09.2019 बुक संख्या 250 क्षेत्रफल 800 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।




(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही